नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 164 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 21–04–2014

स्थान: महानिदेशक सभाकक्ष
उ0प्र0कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन
अष्टम तल ,विभूतिखण्ड ,गोमतीनगर ,लखनऊ ।

समय : 02.00 बजे अपरान्ह

उपस्थिति :–

(1)	डा0 एम0 एस0 औलख, कुलपति	अध्यक्ष
(2)	श्री अब्दुल मशहूद खॉ माननीय सदस्य विधान सभा	सदस्य
(3)	श्री देवेन्द्र प्रताप सिह, माननीय सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(4)	श्री विनय कुमार पाण्डेय ,अनुसचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(5)	श्री अशोक कुमार विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(6)	श्री जय प्रकाश नारायण विशेष सचिव वित्त विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(7)	डा0 रूद्र प्रताप निदेशक पशुपालन उ0प्र0	सदस्य
(8)	श्री बंशी लाल यादव , कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
(9)	श्री छेदी सिह प्रगतिशील कृषक	सदस्य
(10)	श्री शिवजीत यादव ,पशु प्रजनक	सदस्य
(11)	श्रीमती सुचिता तिवारी ,प्राख्यात उद्योगपति	सदस्या
(12)	डा0 रेहाना सिद्दीकी सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्या
(13)	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय वित्त नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सचिव प्रबन्ध परिषद ने नये कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद का परिचय माननीय सदस्यों से कराया। माननीय सदस्यों ने कुलपति जी का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। माननीय कुलपति ने भी सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया, तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई एवं निम्नवत निर्णय लिया गया :–

प्रस्ताव सं0 164:1 प्रबन्ध परिषद की गत बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि ।

भाग (क) : प्रबन्ध परिषद की गत 163वीं बैठक दि0 29–11–2013 की पुष्टि

प्रबन्ध परिषद की गत बैठक दि0 29–11–2013 की पुष्टि करते हुए तत्समय 159वीं बैठक का उल्लेख रह गया था, इस पर भी कार्यवाही स्थगित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों ने इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया कि प्रस्ताव सं0 163:2 दिनांक 29–11–2013 में लिये गये निर्णय के केयान्वयन मे प्रशासनिक आदेश निर्गत करने में बहुत बिलम्ब किया गया। यह अपेक्षा की गयी कि बिलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही एक माह में पूरी कर ली जाय तथा प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में परिषद को अवगत कराया जाय।

भाग (ख) : विश्वविद्यालय का वर्ष 2014–15 का आय व्ययक विधिवत पारित किये जाने तक वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह (अप्रैल, मई एवं जून 2014) तक व्यय हेतु कुलपति महोदय को प्राधिकृत किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

विश्वविद्यालय का वर्ष 2014–15 का आय व्ययक विधिवत पारित किये जाने तक वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह (अप्रैल, मई एवं जून 2014) तक व्यय हेतु कुलपति महोदय को चक्रीय प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किया जा चुका है। वित्त उप समिति की बैठक दिनांक–21.04.2014 में उक्त तथ्य से अवगत कराते हुए वित्त उप समिति की संस्तुति प्राप्त की गयी (संलग्नक–पी0ए0–1) माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त उपसमिति की संस्तुति को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0 164:2 : प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना :–

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी एवं सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया

प्रस्ताव सं0 162:5 दिसम्बर 2009 से मार्च 2010 के मध्य हडताल अवधि के बकाया वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा गठित उप समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा गठित समिति ने छूटे हुये कर्मचारियों , सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं दूरस्थ केन्द्रों पर कार्यरत कुल 58 कर्मियों के कार्य का सत्यापन किया गया तथा उनको भी वेतन दिये जाने हेतु अपनी संस्तुति प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध परिषद की 164 वीं बैठक का एजेण्डा तैयार करते समय तक ऐसे कार्मिको की संख्या 38 ज्ञात होने के कारण प्रस्ताव संख्या–164:2 में 38 कार्मिकों का उल्लेख है किन्तु एतदर्थ गठित प्रबन्ध परिषद की उपसमिति की बैठक दिनांक–21.04.2014 की कार्य सत्यापनोरान्त की गयी संस्तुति (संलग्नक–पी0ए0–2) में 58 कार्मिको का उल्लेख किया गया है। प्रबन्ध परिषद द्वारा छूटे हुय 58 कार्मिकों/अध्यापकों को हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव स0 164:3 **सुरक्षा अनुभाग में सुरक्षा कर्मिकों की संख्या एवं क्षमता में कमी के कारण विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षा कर्मियों को नियोजित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

सर्वप्रथम इस एजेण्डा से सम्बन्धित प्रभारी सुरक्षा की टिप्पणी मय चार संलग्नक (संलग्नक–पी0ए0–3) सभी सदस्यो को उपलब्ध करायी गयी। वित्त उप समिति की बैठक दि0 21–4–2014 में की गयी संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सैद्वान्तिक रूप से सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, किन्तु पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती चुनाव

F.C.

आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही सम्पन्न करायी जायेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यथा आवश्यकता सुरक्षा कार्य हेतु पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यन से भूतपूर्व सैनिको को नियोजित किया जाय। इस व्यवस्था के कारण होने वाला वर्तमान से अतिरिक्त व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि सुरक्षा अनुभाग में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी डयूटी अवधि मे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित वर्दी पहनकर ही डयूटी करेगें एवं उनके शर्ट की जेब के उपर नामपटटिका एवं पदनाम अवश्य अंकित रहे। प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन एवं प्रत्येक तीन वर्ष पर शीतकालीन वर्दी एवं जूता विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाय।

प्रस्ताव सं0 164:4: **न्यूट्री फार्म राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पाइलट परियोजना) को नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा उक्त योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। योजना के मानको के अनुरूप परियोजना चलायी जाय।

प्रस्ताव सं0 164:5 **माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 4511(एस0एस0)/2012 श्री सत्य नाम सिंह बनाम कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय में पारित आदेश दि0 22–8–2013 के क्रम में प्रशासनिक आदेश सं0 345 दि0 19–2–1996 द्वारा कार्यालय अधीक्षक पदों पर की गयी पदोन्नति के अनुमोदनार्थ विचार एवं निर्णय।**

सर्वप्रथम इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक आख्या (संलग्नक–पी0ए0–4) सभी सदस्यो को उपलब्ध करायी गयी। उक्त पर माननीय सदस्यों ने अपने –2 विचार रखें और विचारोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि पदोन्नतियों मे आरक्षण की व्यवस्था 1996 में लागू होने के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति में माननीय उच्चतम न्यायालय के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम निर्णय को इस प्रकरण पर लागू किया जाना सम्भव नही है। प्रबन्ध परिषद के सदस्यों का अभिमत था कि यदि याची श्री सत्यनाम सिंह अथवा संवर्ग का कोई अन्य कर्मचारी उक्त पद के लिए अर्ह कर्मियों में वरिष्ठ है तो उन्हें वरिष्ठता के आधार पर वर्तमान रिक्ति यदि कोई है अथवा भविष्य में होती है, तो कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति किये जाने पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित अनुपूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये–

प्रस्ताव सं0 164:6–1 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 7160/2010 में पारित आदेश दि0 19–12–2013 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर स्टेनों संवर्ग में पूर्व पारित प्रोन्नति

F.C.

आदेशों की जॉच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठेक दि0 10–4–2014 को संस्तुतियों का अनुमोदन ।

सर्वप्रथम अनुपूरक एजेण्डा के रूप में इस एजेण्डा की व्याख्यात्मक टिप्पणी दिनांक–21.04.2014 मय संलग्नक (संलग्नक–पी0ए0–5) समस्त सदस्यो को उपलब्ध कराई गयी। प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय स्तर पर गटित समिति की संस्तुति दि0 10–4–2014 के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि मो0 नईम खान जो स्टेनो संवर्ग में ज्येष्ठतम् है को निजी सचिव वेतनमान (तत्कालीन 2000–3200) दिये जाने एवं वरिष्ठताक्रम में संवर्ग में मो0 नईम के बाद आउ कर्मियों को वेतनमान (तत्कालीन 1640–2900) में बनाये रखने तथा शेष तीस कर्मियो को वेतनमान (तत्कालीन 1400–2600) में रखे जाने की संस्तुति तत्काल प्रभाव से लागू की जाय

164:6–2 अन्य निर्णय :–

(क) श्री शिवजीत यादव एवं अन्य ,मान0सदस्य, प्रबन्ध परिषद ने मौखिक रूप से यह बिन्दु उठाया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों/वैज्ञानिकों की पहले ही बहुत कमी है तथा यह बढ़ती ही जा रही है। इसके दृष्टिगत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर पूर्व से गये हुए कार्मिकों की धारणाधिकार अवधि न बढ़ाई जाये। विशेष परिस्थितियों में धारणाधिकार अवधि बढ़ाने एवं भविष्य में ऐसे कार्मिको की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति शासनादेशों के अनुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किये जाने हेतु सर्वसम्मति से कुलपति महोदय को स्वविवेक से विश्वविद्यालय हित में निर्णय लिये जाने का सुझाव दिया गया।

(ख) प्रबन्ध परिषद के सभी माननीय सदस्यों ने बेठक में यह बिन्दु उठाया कि आई0सी0ए0आर0 द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वही सुबिधाये अनुमन्य करायी जाय जो आई0सी0ए0आर0 में अनुमन्य है । इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकतायें यथाशीघ्र पूरी कर ली जाय और प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्रो व विश्वविद्यालय शिक्षको/वैज्ञानिको के सेवा नियमो के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाय।

(ग) माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यो द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि अन्य प्रदेशो के विश्वविद्यालयों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। माननीय सदस्यो द्वारा सर्व सम्मति से चिकित्सा कारणों से विश्वविद्यालय कार्य में अक्षम

F.C.

वैज्ञानिको/कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद में भी प्रदान किये का प्रस्ताव पारित किया गया और यह अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय में राजकीय विभागो की भाँति स्वैच्छिक सेवानियमावली को लागू किये जाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

(घ) विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यो द्वारा बैंक शाखा, रेल आरक्षण व दूरभाष निदेशिका आदि के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये जिस पर पृथक से कार्य हेतु निर्णय लिया गया।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

22/04/2014

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(एम0एस0औलख)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैंजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–164वीं/लेखा/2014/143 दिनांक 21–4–2014

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

'नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 164 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 21–04–2014

स्थानः महानिदेशक सभाकक्ष
उ0प्र0कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन
अष्टम तल ,विभूतिखण्ड ,गोमतीनगर ,लखनऊ ।

समय : 02.00 बजे अपरान्ह

उपस्थिति :–

(1)	डा0 एम0 एस0 औलख, कुलपति	अध्यक्ष
(2)	श्री अब्दुल मशहूद खॉ माननीय सदस्य विधान सभा	सदस्य
(3)	श्री देवेन्द्र प्रताप सिह, माननीय सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(4)	श्री विनय कुमार पाण्डेय ,अनुसचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(5)	श्री अशोक कुमार विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(6)	श्री जय प्रकाश नारायण विशेष सचिव वित्त विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(7)	डा0 रूद्र प्रताप निदेशक पशुपालन उ0प्र0	सदस्य
(8)	श्री बंशी लाल यादव , कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
(9)	श्री छेदी सिंह प्रगतिशील कृषक	सदस्य
(10)	श्री शिवजीत यादव ,पशु प्रजनक	सदस्य
(11)	श्रीमती सुचिता तिवारी ,प्राख्यात उद्योगपति	सदस्या
(12)	डा0 रेहाना सिद्दीकी सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्या
(13)	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय वित्त नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सचिव प्रबन्ध परिषद ने नये कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद का परिचय माननीय सदस्यों से कराया। माननीय सदस्यों ने कुलपति जी का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। माननीय कुलपति ने भी सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया, तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई एवं निम्नवत निर्णय लिया गया :–

प्रस्ताव सं0 164:1 प्रबन्ध परिषद की गत बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि ।

भाग (क) : प्रबन्ध परिषद की गत 163वीं बैठक दि0 29–11–2013 की पुष्टि

प्रबन्ध परिषद की गत बैठक दि0 29–11–2013 की पुष्टि करते हुए तत्समय 159वीं बैठक का उल्लेख रह गया था, इस पर भी कार्यवाही स्थगित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों ने इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया कि प्रस्ताव सं0 163:2 दिनांक 29–11–2013 में लिये गये निर्णय के कियान्वयन मे प्रशासनिक आदेश निर्गत करने में बहुत बिलम्ब किया गया। यह अपेक्षा की गयी कि बिलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही एक माह में पूरी कर ली जाय तथा प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में परिषद को अवगत कराया जाय।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज,फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 21–04–2014

स्थान : महानिदेशक सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद किसान मण्डी भवन
अष्टम तल विभूतिखण्ड गोमतीनगर
लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे ।

उपस्थित :

1– डा0 एम0एस0 औलख , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री बंशी लाल यादव , मान0सदस्य , प्रबन्ध परिषद	– सदस्य
3– श्री अशोक कुमार ,विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग ,उ0प्र0शासन	– सदस्य
4– श्री जय प्रकाश नारायण , विशेष सचिव वित्त विभाग ,उ0प्र0शासन	– सदस्य
5– श्री विनय शंकर पाण्डेय ,अनुसचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0प्र0शासन	– सदस्य
6– श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय , वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक प्रारम्भ होते ही सचिव ,वित्त उप समिति ने नवागत कुलपति /अध्यक्ष वित्त उप समिति का परिचय माननीय सदस्यो से कराया । माननीय सदस्यों ने माननीय कुलपति का स्वागत एवं अभिनन्दन किया । माननीय कुलपति महोदय ने भी सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया , तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी एवं निम्नवत संस्तुतियॉ प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 1: वित्त उप समिति की गत बैठक दि0 24–07–2013 की कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उप समिति की गत बैठक दिनांक 24–07–2013 की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2: वित्त उप समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना से समिति अवगत हुयी एवं निम्नवत संस्तुतियॉ की गयी –

"प्रस्ताव स0 3 : परीक्षा कार्य हेतु कुलसचिव कार्यालय के लिए एक बोलेरो वाहन क्रय किये जाने पर विचार एव निर्णय ।"

कुलसचिव कार्यालय के बोलेरों वाहन क्रय हेतु शासन की अनुमति प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति ने पुनः संदर्भ सहित शासन को अनुस्मारक भेजे जाने की संस्तुति की ।

21/4/14
F.C.

क्रमशः 2/–

प्रस्ताव सं0 3 सुरक्षा अनुभाग में सुरक्षा कर्मिकों की संख्या एवं क्षमता में कमी के कारण विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षा कर्मियों को नियोजित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ इस आशय से संस्तुति प्रदान की गयी कि विश्वविद्यालय यथा आवश्यकता सुरक्षाकर्मियों को नियोजित करें । उक्त का क्रियान्वयन चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 4 : न्यूट्री फार्म राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पाइलट परियोजना) को नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय , कुमारगंज फैजाबाद में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव को प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

21/4/14

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

21/04/2014

(एम0 एस0 औलख)
कुलपति / अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0 / 8 / वि0उ0स0 / लेखा / 2014 / 142 दिनांक 21--04--2014

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

21/4/14

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

प्रबन्ध परिषद की 159वीं बैठक के मद संख्याः 159:2 (157:7) द्वारा गठित उप समिति की बैठक की कार्यवाही

बैठक का दिनांक : 21–04–2014

बैठक का स्थान :,उपकार लखनउ का सभाकक्ष ।

समय :– अपरान्ह 1.00 बजे

उपस्थित :

1. श्री अब्दुल मशहूद खाँ, माननीय सदस्य, विधान सभा एवं सदस्य, प्रबन्ध परिषद – अध्यक्ष
2. श्री शिवजीत यादव, सदस्य, प्रबन्ध परिषद – सदस्य
3. श्रीमती सुचिता तिवारी,सदस्य, प्रबन्ध परिषद – सदस्य
4. डा0 रेहाना सिद्दीकी, सदस्य, प्रबन्ध परिषद – सदस्य
5. डा0 पी0के0 गुप्ता, निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण – सदस्य
6. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक वित्त नियन्त्रक – सचिव

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों/कर्मचारियों द्वारा माह दिसम्बर 2009 से मार्च 2010 के मध्य कुछ मांगों को लेकर असहयोग आन्दोलन चलाया गया था। उक्त आन्दोलन तत्कालीन व्युलपति महोदय एवं कर्मचारी कल्याण परिषद के पदाधिकारियों के मध्य समझौते के फलस्वरूप इस शर्त के साथ समाप्त हुआ था कि आन्दोलन अवधि का कार्य सम्बन्धित शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त समय देकर प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय और किसी प्रकार का कार्य अधूरा न रह जाय। इस सम्बन्ध में परिषद के पदाधिकारियों ने शासन स्तर पर माननीय मंत्रीगण एवं उच्च अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई बैठक से सम्बन्धित कागजात भी प्रस्तुत किया। समिति के माननीय सदस्यों ने विभिन्न विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा असहयोग आन्दोलन अवधि में शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन भी किया।

बैठक में चर्चा के दौरान संज्ञान में आया कि वैज्ञानिकों/कर्मचारियों द्वारा, जिन्होंने माह दिसम्बर 2009, जनवरी 2010 से मार्च 2010 के मध्य में कुछ मांगों को लेकर इस विश्वविद्यालय में चलाये गये असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं यूनिटों के प्रभारियों ने उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों के सम्बन्ध में असहयोग आन्दोलन की अवधि में किये गये कार्यों का सत्यापन करते हुए उक्त अवधि का वेतन भुगतान किये जाने का प्रस्ताव, विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है, जिसकी विभागवार एवं शिक्षकों/कर्मचारियों की सूची विपक्ष में प्रस्तुत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 (असहयोग आन्दोलन अवधि) का वेतन, कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं यूनिटों के प्रभारियों द्वारा किये गये कार्य सत्यापन की समीक्षा की गयी, । असहयोग आन्दोलन के दौरान रूके हुये वेतन को पाने हेतु

21.04.14 21/04/2014 21.04.2014

छूटे हुए कुल 38 कर्मचारियों /वैज्ञानिकों द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2013 तक आवेदन किया गया था । दिनांक 27–3–2014 को निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण का एक अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 20 अधिकारियों/कर्मचारियों ,जिसमें से अधिकतर सेवानिवृत्त एवं बाह्य केन्द्रों पर भी कार्यरत हैं और उनका नाम अब तक छूटा ही चल रहा था, , के असहयोग आन्दोलन की अवधि के वेतन का आवेदन किया गया है । प्रस्ताव के साथ विभागाध्यक्षों की कार्य सत्यापन आख्या भी संलग्न है , जिनका **Work verification** सही पाया गया। इस प्रकार उपसमिति सभी 58 (38+20) कर्मचारियों/वैज्ञानिकों को भी रूके हुये वेतन को दिए जाने हेतु अपनी संस्तुति करती है ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा गठित उप समिति की उपरोक्त संस्तुति माननीय प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(शिवजीत यादव)
सदस्य
प्रबन्ध परिषद

(सुचिता तिवारी)
सदस्य
प्रबन्ध परिषद

(रेहाना सिद्दीकी)
सदस्य
प्रबन्ध परिषद

21/04/2014
(पी0के0 गुप्ता)
निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण
सदस्य

21.4.2014
(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक वित्त नियंत्रक
सचिव

21-04-2014
(अब्दुल मशहूद खाँ)
सदस्य, प्रबन्ध परिषद
अध्यक्ष

मानणीय कुलपति महोदय

विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग पर सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर, कुमारगंज के साथ–साथ निकटवर्ती फार्म प्रक्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व है। विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग में वर्तमान में मात्र 72 सुरक्षा कर्मी है। जिनमें 19 नियमित सुरक्षा गार्ड, 32 दैनिक श्रमिक सुरक्षा गार्ड तथा 21 होम गार्ड कार्यरत है। जबकि पूरे विश्वविद्यालय परिसर की समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रतिदिन हेतु तीन पालियों (शिफ्ट) में कम से कम 172 सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता है। सुरक्षा गार्डों की संख्या में अत्यन्त कमी एवं उनमें प्रशिक्षण एवं क्षमता की कमी के कारण विगत कई वर्षों से सुरक्षा व्यवस्था में भारी खामियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जिससे विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले लोगों को परेशानी का लगातार सामाना करना पड़ रहा है तथा विश्वविद्यालय की सम्पति एवं शोध प्रयोगों को क्षति पहुँच रही है। विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सम्बन्धी परेशानियों का एक संक्षिप्त व्यौरा कुछ घटनाओं की छायाप्रतियों के साथ आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

1. विश्वविद्यालय परिसर के सीमावर्ती गावों के लोग अपने पशुओं को विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर आवासीय एवं शोध क्षेत्रों में जबरदस्ती ले आते है जिससे शोध प्रयोगों को क्षति पहुँचती है तथा रोकने पर मार पीट पर उतारू हो जाते हैं।
2. निकटवर्ती गावों के चोर विश्वविद्यालय परिसर में चोरियां करते हैं। परिसर के पेड़ों एवं डालियों की लकड़ी काट ले जाना, तालाबों से मछलियों की चोरी, घरों एवं हास्टलों में चोरी आदि के अनेक प्रकरण हुए हैं। दिनांक 17–18 मार्च, 2014 की रात्रि में सरयू छात्रावास की बन्द मेस से 10 पंखे एवं 2 गैस चूल्हों की चोरी का प्रकरण आपके संज्ञान में लाया जा चुका है।
3. स्थानीय लोगों द्वारा विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा कर स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण एवं दुरूपयोग की कई घटनाऐं घटित हो रही हैं।
4. स्थानीय लोगों द्वारा परिसर में घुस कर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं छात्रों के साथ अभद्रता एवं मार पीट करने की घटनाऐं होती रहती हैं। कुछ दिनों पूर्व दिनांक 15.03.2014 को विश्वविद्यालय के श्री विजय कुमार उपाध्याय, चालक को कृषि महाविद्यालय में आकर बाहरी लोगों द्वारा पीटने का प्रकरण आपके संज्ञान में लाया जा चुका है।

स्थानीय होने के कारण नियमित एवं दैनिक सुरक्षा गार्ड परिसर के समीपवर्ती क्षेत्रों के बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों से कड़ाई से पेश आने में घबड़ाते हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु पूर्व में कुछ होम गार्डों की व्यवस्था की गई है परन्तु ये होम गार्ड भी स्थानीय लोगों से उलझने से बचते हैं एवं शिथिल हैं। इनकी ड्यूटी भी हमेशा बदलती रहती है जिससे ये परिसर में अपनी पकड नहीं बना पाते और न ही वांछित जिम्मेदारी उठाते हैं।

अतः महोदय उपरोक्त सुरक्षा समस्याओं एवं खामियों को समाप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उपरोक्त समस्याओं के समाधान में सुरक्षा गार्डों की संख्या का आवश्यकतानुसार बढ़ाना एवं पूर्व सैनिक कल्याण निगम के गार्डों का नियोजित करना आदि उचित विकल्प हो सकते हैं।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

AF Comptroller/ Secretary BOM
Pl. put up these documents along with the Agenda No. 164/3 in BOM meeting.
[signature]
20/04/2014

[signature]
(पी0के0सिंह)
प्रभारी सुरक्षा

सेवा में,

विभागाध्यक्ष
आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग
न0 दे0 कृ0 एवं प्रौ0 वि0वि0 कुमारगंज,
फैजाबाद।

विषय: जी0 पी0 बी0 प्रक्षेत्र पर लगाये गये परीक्षणों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि खरीफ वर्ष 2013-14 में अरहर के परीक्षण जी0पी0बी0 प्रक्षेत्र पर प्लाट सं0 G5 तथा MES प्रक्षेत्र पर प्लाट सं0 4 में लगाये गये हैं। जैसा कि आपने निदेशक, शोध [illegible] के साथ visit के दौरान देखा है कि परीक्षणों का जमाव ठीक प्रकार से हुआ है तथा रखरखाव भी ठीक ढंग से किया गया है। परन्तु खेद के साथ सूचित करना है कि दिनांक 22/23.8.13 को परीक्षणों के चार प्लाट नीलगायों द्वारा नष्ट कर दिये गये हैं। चूंकि प्रक्षेत्र पर चौकीदारी ठीक ढंग से नहीं की जा रही है फलस्वरूप परीक्षणों को आये दिन नीलगायों अथवा घुमन्तू जानवरों द्वारा चर लिया जाता है और परिणामत: परीक्षण फेल हो जाते हैं।

अत: कृपया उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सम्बन्धित को चौकीदारी हेतु उचित निर्देश देने की कृपा करें जिससे परीक्षणों को क्षति होने से बचाया जा सके।

भवदीय
[illegible]
24/8/13
(राकेश कुमार)
सहा0 दलहन अभिजनक

F C
[illegible]
24.8.13

Dr. Raj Bahadur / Sri Tripathi
Asstt. Farm Incharge (GPB Farm)
Pl. do the needful action/
Pl. write to security officer to engage their watchman at GPB Farm.
[illegible] 24/8/13

प्रभारी अधिकारी, सुरक्षा
न० दे० कृषि एवं प्रौ० वि०वि०, कुमारगंज, फैजाबाद

द्वारा उचित माध्यम

छात्रावास अधीक्षक (कृषि महाविद्यालय)
सरजू छात्रावास

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 19.03.2014 समय 5.45 pm का सन्दर्भ लेने का कष्ट करे जिसमे सरजू छात्रावास में हुई चोरी के सम्बन्ध में आख्या की अपेक्षा की गयी है। सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी यह स्पष्ट करना चाहता है कि उक्त छात्रावास का मैं मात्र सहायक छात्रावास अधीक्षक हूँ। तथा मुझे इस रूप में कोई भी अधिकार प्रदत्त नही है। सहायक के रूप में छात्रावास अधीक्षक को सहयोग प्रदान करने एवं छात्रो के रहने एवं खान पान मे सहयोग करने तक ही मेरी भूमिका सीमित है एवं यथाप्रेक्षित सहयोग अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान किया जाता है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत आप की सेवा में प्रस्तुत है।

1- छात्रावास मे तैनात कर्मियो से प्राप्त आख्याए मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित है।

2- दिनांक 18.3.14 की सुबह 8.0 बजे के करीब छात्रावास के कर्मी द्वारा (श्री जोखू सिंह एवं ओंकारनाथ पाण्डेय) मुझे मौखिक रूप में घटना की सूचना दिये। जिसपर मैने उनसे कहा कि आप विवरणो के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे जिससे उनको वि०वि० सुरक्षा विभाग को छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से कार्यवाही हेतु भेजा जा सके। परन्तु ये कर्मचारी 12.30 बजे तक संदर्भित प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नही करा पाये। जिसकी पुष्टि इनके द्वारा दी गयी आख्या से ~~[illegible]~~ की जा सकती है।

3- मैं अतिशयोक्ति नही करता मेरे द्वारा छात्रावास में जितना समय दिया जाता है सम्भवतः उतना

सेवा में, सहायक यातायात अधीक्षक (कोचिंग यातायात)
उ० रे० ? ० वि० वि० कमरहोला, फैजाबाद,

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि दिनांक 18-03-2014 को जब सुबह 6-30 Am पर ड्यूटी पर आया तथा यातायात का निरीक्षण करने पर यह पाया कि मेस न० 4 के डायनिंग हाल के बाहरी दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ था चूंकि दरवाजे में अन्दर से भी ताला लगा हुआ था। इस वजह से दरवाजा नहीं खुल सका तथा चोरों ने खिड़की पर लगे राड को तोड़मोड़ कर अन्दर जाने का रास्ता बना कर हाल से सामान उठा ले गए।

उपरोक्त की सूचना सहायक यातायात अधीक्षक महोदय को मौखिक रूप से मैं तथा श्री जोधू सिंह यातायात कर्मी दिए। जिसपर सहायक यातायात अधीक्षक ने कहा कि आप लोग लिखित रूप से अवगत कराए। तथा महोदय ने यह भी कहा कि सुरक्षाकर्मी जिसकी ड्यूटी दिनांक 17-03-14 को सरयू यातायात में लगी थी सुरक्षा अनुभाग से उनकी प्राप्ति एवं यातायात के पंजिका की प्राप्ति प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराए तभी उचित कार्यवाही को अग्रसारित किया जा सकता है। परन्तु सुरक्षा प्रभारी एवं सुरक्षा अधिकारी सभी बाबा अध्यक्ष कमरहोला आए, लेकिन इन लोगों को न तो सुरक्षा विभाग द्वारा प्राप्ति तथा न ही यातायात से ड्यूटी पंजिका की प्राप्ति नहीं मिल पायी थी। इस वजह से प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सका था।

दिनांक - 19-03-2014

[illegible] एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
[signature] 19/03/14

प्रार्थी
[signature]
(ओंकार नाथ पाण्डेय)
सरयू यातायात
अटेन्डेन्ट
[signature]
(जोधू सिंह)
अटेन्डेन्ट.

सेवा में,

कुलपति महोदय
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमारगंज, फैजाबाद

विषय: सुरक्षा के सम्बन्ध में।

1654
5112

महोदय,

खेद के साथ अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में नीलगायों एवं गाय–भैसों के कारण नित–प्रतिदिन दुर्घटनायें घट रही हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं:–

1. रात्रि [illegible]:00 बजे कार्यालय से वापस आते समय आवासीय परिसर में डा0 अखिलेश कुमार सिंह के वाहन से नीलगाय एकदम से सड़क पार करते समय टकरा गयी, जिससे उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी एवं एक बड़ी दुर्घअना होते–होते बची।
2. डा0 राज बहादुर मोटरसाइकिल से अपने शोध प्रक्षेत्र जाते हुए एकदम से नीलगाय सड़क पर आ गयी, जिससे वे टकरा गये और उन्हें चोटें आयीं तथा उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गयी।
3. [illegible] के सामने भी नीलगाय टकरा जाने से एक अन्य मोटरसाइकिल वाला घायल हो गया।
4. डा0 [illegible]पी0 सिंह को साँड़ वि0वि0 परिसर में ही बुरी तरह से पटक कर चोटिल कर दिया था।
5. वर्तमान समय में बछड़े लावारिस रूप से परिसर में घूमते रहते हैं, जो कि किचन–गार्डेन एवं शोध प्रक्षेत्रों को काफी नुकसान पहुँचाते हैं, साथ ही नीलगायों द्वारा भी रात्रि में किचन–गार्डेन में काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
6. प्रायः ऐसा देखा गया है कि अगल–बगल के गाँवों से गाय एवं भैसों का झुण्ड विश्वविद्यालय परिसर में लगातार (24 घण्टे) घूमते रहते हैं, जो किचन–गार्डेन एवं विश्वविद्यालय के शोध प्रक्षेत्रों तथा पेड़–पौधों को काफी नुकसान पहुँचा रहे हैं।

अतः महोदय आपसे निवेदन है कि कुछ उपरोक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी भयंकर दुर्घटना एवं नुकसान से बचने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाही करने का निर्देश सम्बन्धित को देना चाहें, जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी व नुकसान से बचा जा सके। हम परिसरवासी आपके बहुत आभारी रहेंगे।

सादर।

O/C Security

(R.B. Kureel)
Vice-Chancellor

भवदीय

परिसरवासी

C-72
B-72
B-73
C-67
Uma Shankar C-69
Sai Prakash Verma C-68

(1) Nawaz Khan B-74
(2) T.P. Singh C-73
3. Dr. A.K. Singh B-69
4. Dr B N Singh B-71
5. Dr. Akhilesh K. Singh C-74

<u>मा0 प्रबन्ध परिषद की दिनांक–21.04.2014 को आयोजित 164 वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या–164:5 के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी</u>

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–4511/2012 में पारित आदेश दिनांक–22.08.2013 में इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद को यह निर्देशित किया है कि कार्यालय अधीक्षक के पद पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल के समक्ष उटाये गये बिन्दुओ पर परीक्षण करते हुए अन्तिम निर्णय लिया जाय। महामहिम को सम्बोधित श्री सत्यनाम सिंह व अन्य के पत्र की बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है:–

(1) यद्यपि प्रोन्नति आदेश संख्या–345 दिनांक–19.02.1996 कार्यवाहक कुलपति द्वारा निर्गत किया गया था किन्तु सक्षम स्तर अर्थात प्रबन्ध परिषद की 122 वीं बैठक दिनांक– 22.12.2003 के प्रस्ताव संख्या–122:19 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिये जाने के उपरान्त यह प्रश्न प्रसंगिक नही रह जाता हैं।

(2) उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि सक्षम स्तर अर्थात प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(3) श्री सीताराम की प्रोन्नति आरक्षित पद के विरूद्ध की गयी है जबकि प्रत्यावेदक गण इस श्रेणी के नही है, इसलिए इन दोनो की तुलना उचित नही है।

(4) समस्त प्रत्यावेदक एक ही कैडर के है।

(5 एवं 6) इन बिन्दुओ में प्रत्यावेदक की प्रार्थना है, जिस पर कोई आख्या अपेक्षित नही है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए माननीय प्रबन्ध परिषद अपनी 122 वीं बैठक के प्रस्ताव 122:19 में लिए गये पूर्व निर्णय की पुनः पुष्टि करना चाहें।

21/4/14 F.C. 21/4/14 24/04/2014

(V.C.)

अनुपूरक एजेण्डा

6.1 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–7160/2010 में पारित आदेश दिनांक–19.12.2013 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर स्टेनो संवर्ग में पूर्व पारित प्रोन्नति आदेशों की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक–10.04.2014 की संस्तुतियों का अनुमोदनः

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ, लखनऊ में दायर याचिका संख्या–7160/2010 श्री सुजात अहमद खान व अन्य में पारित आदेश दिनांक–19.12.2013 द्वारा प्रबन्ध परिषद की बैठक 147:38 दिनांक–25.08.2010 के निर्णय एवं तदआधारित आदेश संख्या–828 दिनांक–04.09.2010 को निरस्त कर दिया गया है (दोनो की छायाप्रति संलग्न) तथा विश्वविद्यालय को यह आदेश दिया गया कि राज्य सरकार के किसी भी निर्देश से प्रभावित हुए बिना एवं जिन व्यक्तियों को लाभ पूर्व में प्राप्त हो चुका है उनके भी पक्ष को सुनते हुए प्रकरण पर नये सिरे से विचार किया जाय।

उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नवत समिति गठित की गयी–

(1) डॉ0 भगवान सिंह, अधिष्ठाता, कृषि	अध्यक्ष
(2) डॉ0 पी0के0 गुप्ता, निदेशक, प्रशासन एवं पर्यविक्षण	सदस्य
(3) डॉ0 टी0पी0एस0 कटियार, अधिष्ठाता, गृह विज्ञान	सदस्य
(4) श्री एस0सी0 उपाध्याय, वित्त नियंत्रक	सदस्य

समिति ने दिनांक–10.04.2014 को स्टेनो संवर्ग की खुली बैठक की और सभी पक्षकारों को सुना। समिति की संस्तुतियां स्वतः स्पष्ट हैं। तदानुसार मो0 नईम खान जो स्टेनो संवर्ग में ज्येष्ठतम् हैं को निजी सचिव वेतनमान (तत्कालीन 2000–3200) दियेजाने एवं वरिष्ठताक्रम में संवर्ग में मो0 नईम के बाद आठ कर्मियों को वेतनमान (तत्कालीन 1640–2900) नें बनाये रखने तथा शेष तीस कर्मियों को वेतनमान (तत्कालीन 1400–2600) में रखे जाने का प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

21/4/14

F.C- 21/4/14

21/04/2014
(V.C-)

(47)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज,फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद की 141 वीं बैठक की कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 13–08–2008

स्थान : सभाकक्ष उ0प्र0कृषि अनुसंधान परिषद किसान मंडी भवन ,अष्टम तल, विभूतिखंड, लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे ।

उपस्थित :

1	डा0 बसन्त राम कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र ,मान0सदस्य विधान सभा	सदस्य
3	श्री बैज नाथ दूबे , मान0सदस्य विधान सभा	सदस्य
4	श्री कमला प्रसाद यादव मान0सदस्य विधान परिषद	सदस्य
5	श्री पी0के0 अग्रवाल विशेष सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ0प्र0शासन	सदस्य
6	डा0राजित राम वर्मा, निदेशक कृषि उ0प्र0	सदस्य
7	डा0 रूद्र प्रताप सिंह निदेशक पशुपालन , उ0 प्र0	सदस्य
8	डा0आर0पी0 सिंह प्राख्यात वैज्ञानिक	सदस्य
9	श्री राज नारायण सिंह, एडवोकेट/प्रगतिशील कृषक	सदस्य
10	श्री अनिल कुमार सिंह उद्योगपति	सदस्य
11	श्री छेदी सिंह , पशु प्रजनक	सदस्य
12	श्रीमती मालती यादव ,सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्या
13	श्री राम चरन लाल , वित्त नियंत्रक	सचिव

बैठक प्रारम्भ होते ही बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले मान0 सदस्य श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र , श्री बैज नाथ दूबे मान0सदस्य विधान सभा एव श्री राम चरन लाल वित्त नियंत्रक का परिचय मान0कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय सदस्यों से कराया गया । नये मान0 सदस्यों द्वारा आश्वासन दिया गया कि विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति में वे अपना निरन्तर योगदान देते रहेगें ।

माननीय कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद ने यह भी अवगत कराया कि प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य श्री छेदी सिंह के छोटे भाई की दुर्घटना में असामयिक देहावसान के फलस्वरूप प्रबन्ध परिषद को गहरा दुख हुआ हैं । प्रबन्ध परिषद द्वारा दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गयी ।

तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी एवं निम्नवत निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0 141:1 प्रबन्ध परिषद की गत बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 140 वीं बैठक दिनांक 25–03–08 की कार्यवृत्त की पुष्टि मान0सदस्य द्वारा सर्वसम्मति से की गयी ।

वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 8–8–2008 में की गयी संस्तुति के अनुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि योजना में अब तक हुयी प्रगति की सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

प्रस्ताव सं 141:7 उ0प्र0विज्ञान एवं तकनीकी परिषद (सी0एस0टी0–यू0पी0) लखनउ द्वारा शत प्रतिशत पोषित योजना STUDIES ON EFFICACY OF VACCINATION AGAINST INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHITIS (BOVINE HERPES VIRUS -1) IN CATTLE AND BUFFALOES IN EASTERN UTTAR PRADESH को इस विश्वविद्यालय में 3 वर्षो के लिए कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 8–8–2008 में की गयी संस्तुति के अनुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं 141:8 श्री विजय पाल सिंह सेवानिवृत्त आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर वेतनमान रू0700–1300 के स्थान पर योगदान की तिथि 4–4–87 से वेतनमान 1000–1900 तथा पुनरीक्षित वेतनमान रू0 2350–4300 अनुमन्य किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 8–8–2008 में की गयी संस्तुति के अनुसार प्रकरण एक कैडर का न होने की दशा में सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद द्वारा अस्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव सं 141:9 डा0 अनिल कुमार सह पाशिक्षक (पशु विज्ञान)का धरण धारण अवधि दिनांक 6–6–2008 से 5–6–2010 तक (2 वर्ष) और विस्तारित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं 141:10 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अन्तर्गत आशुलिपिक सम्वर्ग के 1–1–86 से 31–2–89 के मध्य उपलब्ध) पदों में शासन की नीति के अनुसार वृद्धि न करते हुए पदो के पुर्नगठित /प्रतिस्थापित करके शासनादेश सं0 639/1/12–9–95 दिनांक 21–7–95 को वि0वि0 में लागू होने के फलस्वरूप माननीय प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ /अनुमोदनार्थ ।

शासनादेश सं0 639/1/12–9–95 दिनांक 21–7–95 को में विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने संबंधी उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं 141:11 विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों को सरकारी भवन के आवंटन में कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 बी–5:0 /का–2/1995 दिनांक 29 सितम्बर 1995 लागू करते हुए आरक्षण प्रदान करने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कुलपति महोदय को प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत कार्यरत आशुलिपक सम्वर्ग के 1.1.86 से 31.3.89 के मध्य उपलब्ध पदों में शासन की नीति के अनुसार वृद्धि न करते हुए पदों को पुर्नगठित/प्रतिस्थापित करके शासनादेश सं0 639/1/12-9-95 दिनॉक 21.7.95 को विश्वविद्यालय में लागू होने के फलस्वरूप माननीय प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थः-

विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिक सम्वर्ग का उक्त एजेण्डा प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के 138 वीं एवं 140वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय, जिसके क्रम में विवरण निम्नवत् हैः-

समता समिति उत्तर प्रदेश 1989 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश शासन ने कृषि विभाग में आशुलिपिक संवर्ग के पदों का पुर्नगठन/प्रतिस्थापना शासनादेश सं0 639/1/12-9-95 दिनॉक 21.7.95 (प्रति संलग्न) द्वारा कर दिया गया है। तद्नुसार इस विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिक सम्वर्ग के पदों को उक्त शासनादेशानुसार 1.1.1986 से पुर्नगठित/प्रतिस्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिक सम्वर्ग के कर्मचारी बराबर मांग कर रहे थे।

ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालय के परिनियमावली के अध्याय-20 (ए) में यह स्पष्ट प्राविधान है कि जब तक विश्वविद्यालय की अपनी सेवा नियमावली तैयार नहीं हो जाती, तब तक समय-समय पर शासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में जारी समस्त शासनादेशों को विश्वविद्यालय में लागू माना जायेगा। (प्रति संलग्न-2)

यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद ने आशुलिपिक सम्वर्ग के पदों को तद्नुसार शासनादेश के अनुरूप पुर्नगठित/प्रतिस्थापित करते हुए 24 जून, 1996 को ही संशोधित वेतनमान प्रदान कर विया था। (प्रति संलग्न-3)

यह उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय में आशुलिपिक सम्वर्ग के कर्मी पदोन्नति के पद/अवसर उपलब्ध न होने के कारण लगभग 25 वर्षों से एक ही पद पर पड़े हुए थे तथा कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के आशुलिपिकों की भाँति संशोधित वेतनमान न प्राप्त होने के कारण उनमें उदासीनता के साथ-साथ असन्तोष व्याप्त था। ऐसी स्थिति में कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-639/1/12-9-1995 दिनांक 21.7.1995 को विश्वविद्यालय में आदेश संख्या-1150/स्था./लेखा-2/05 दिनांक 15.01.2005 द्वारा लागू करते हुए विश्वविद्यालय के आशुलिपिक सम्वर्ग के पदों को पुर्नगठित/प्रतिस्थापित कर दिया गया है। (प्रति संलग्न-4)

अतः माननीय प्रबन्ध परिषद उपरोक्त से अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

ह0/-
(सोमिर बोस)
प्रशासनिक अधिकारी

इस प्रस्ताव को प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक के एजेण्डा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है

ह0/-
(डा0 बसन्त राम)
कुलपति

प्रमाणित
5.7.2005
प्रशासनिक अधिकारी

(14)

संख्या : 639/I/12-9-95

प्रेषक,

श्री रमेश यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 1995

विषय:- समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 3810/12-9-89-1799(20)/88 दिनांक 2.2.1989 के आंशिक संशोधन तथा शासनादेश संख्या- 5348/12-9-89-1799(20)/88 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए गठित समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 9.11.89 के संलग्नक की क्रम संख्या - 21, 22, 23, 24, 25, 26 के सम्मुख उल्लिखित पदनामों क्रमशः आशुलिपिक के सम्मुख स्तम्भ -3 में अंकित वेतनमानों के स्थान पर इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ -4 में अंकित वेतनमानों को प्रतिस्थापित किये जाने तथा स्तम्भ -2 में शासनादेश के संलग्न विवरण के स्तम्भ -7 में उल्लिखित प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जहाँ तक आशुलिपिक के पदों के वेतनमान का सम्बन्ध है, इनका विभाजन अधिकारियों के वेतनमान को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आशुलिपिक के जितने पद दिनांक 1.1.86 और 31.3.89 के मध्य उपलब्ध रहे हैं उसके आधार पर किया गया है। आशुलिपिक के पद वेतनमान के आधार पर आलेख के संलग्नक में अंकित कर दिये हैं, जिस पर विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार तैनाती की जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आशुलिपिकों का उच्च वेतनमान तदनुसार संवर्ग में ज्येष्ठता के अनुसार अनुमन्य होगा भले ही आशुलिपिक नीचे के स्तर के अधिकारी से सम्बद्ध रहा हो। इसी प्रकार यदि कनिष्ठ आशुलिपिक वरिष्ठ अधिकारी से सम्बद्ध रहा हो और विभाजन के अनुसार वह कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी के स्तर पर आता हो तो उसे कनिष्ठ वेतनमान ही देय होगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 9.8.89 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अ.शासकीय पत्र संख्या- वे0आ0-2 /10-95 दिनांक 3.6.95 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,
रमेश यादव
सचिव

5

शासनादेश संख्या- 639/12-9-95, दिनांक 21.7.95 का संलग्नक

क्र0 सं0	पदनाम	शासनादेश दिनांक 9.8.89 द्वारा स्वीकृत वेतनमान	संशोधित वेतनमान	पदों की संख्या स्थाई	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई	अभ्युक्ति
1-	जनपद स्तर-							
	आशुलिपिक	1200-2040	1- 2000-60-द.रो.-75-3200	1	-	1	-	पदनाम [illegible] होगा।
	मानचित्रक	1400-2300	2- 1640-60-2600-द.रो.-75-2900					
	आशुलिपिक संवर्ग-							
	मुख्यालय स्तर-							
	1- वैयक्तिक सहायक	1640-2900	(3) 1400-40-1600-द0रो0-50-2600	15	17	7	17	-तदैव-
	2- आशुलिपिक	1400-2300						
	3- आशुलिपिक	1400-2300	(4) 1200-30-1560-द0रो0-50-2040	60	110	57	33	-तदैव-
	4- आशुलिपिक	1200-2040						

ह0/-
: प्रेम नारायण यादव :
अनुसचिव।

प्रतिलिपि

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त।

अर्द्धशा0प0सं0-वे0आ0-1-2510/दस-वि0(ऐ0)
उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
लखनऊ: दिनांक: 08 अक्टूबर, 1991

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों हेतु समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर जारी शासकीय संकल्प संख्या-वे0आ0-1-1739/दस-89-51(एम)/89, दिनांक 19 मई, 1989 के अधीन स्वीकृत वेतनमानों के संबंध में विभिन्न सेवा संगठनों तथा विभागों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ तक आशुलिपिक संवर्ग का संबंध है, संलग्नक में उल्लिखित निर्णय लिये गये हैं। ऐसे विभागाध्यक्ष के पद जिनका कार्य शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव या संयुक्त सचिव के द्वारा अतिरिक्त रूप से देखा जाता है, उनसे सम्बद्ध आशुलिपिकों के बारे में निर्णय लेने हेतु अलग से स्पष्ट स्थिति अंकित की जाय।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति विषयक आप द्वारा निर्गत शासनादेश में संशोधन किया जाना है। तदनुसार इस सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित आदेश का आलेख वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 को सहमति हेतु शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0/
इन्दु कुमार पाण्डे

संलग्नक- एक

श्री....................
सचिव,
.........शासन।

अतिरिक्त विभागाध्यक्ष/संयुक्त विभागाध्यक्ष के पदों पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तैनात हैं, उनसे सम्बद्ध आशुलिपिक को रू0 1400-2600 के वेतनमान में रखा जायेगा। जिलाधिकारी चाहे जिस वेतनमान का अधिकारी हो, उससे सम्बद्ध वैयक्तिक सहायक का वेतनमान रू0 1640-2900 रखा जायेगा। मण्डलायुक्त से सम्बद्ध वैयक्तिक सहायक का वेतनमान रू0 2000-3200 रखा जायेगा।

जिन विभागों में जिला स्तरीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय पर अलग अलग संवर्ग चले आ रहे हैं, वहाँ के लिये यह उचित होगा कि आशुलिपिकों का प्रश्न केवल एक सम्मिलित संवर्ग रखा जाये। जहाँ भी एकीकृत संवर्ग नहीं हैं, वहाँ एकीकृत संवर्ग किया जाये और इस मामले में प्रशासकीय विभाग कार्मिक विभाग के परामर्श से कार्यवाही तत्काल करें।

आशुलिपिकों का संवर्ग विभाग में एक किया जाना है। अतः 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा जिसमें 6 वर्ष सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा सम्मिलित होगी पर पदोन्नति का वेतनमान वैयक्तिक रूप से यही अनुमन्य किया जाय, जो एक वेतनमान के बाद दूसरा उच्च वेतनमान होगा।

16/7/93

(इन्दु कुमार पाण्डे)
सचिव, वित्त।

आशुलिपिक संवर्ग

विभिन्न विभागों में विद्यमान आशुलिपिकों के पद पर भारत सरकार के [illegible] पर सम्बद्ध अधिकारियों के वेतनमान के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार वेतनमान दिये जायें :-

क्र०सं०	अधिकारी, जिसके साथ आशुलिपिक सम्बद्ध हो, का वेतनमान रू०	आशुलिपिक का वेतनमान रू०
1	रू० 3000-4500 तथा रू० 3700-5000 से कम	1200-2040
2	रू० 3700-5000 और इससे अधिक किन्तु रू० 5100-5700 से कम	1400-2600
3	रू० 5100-5700 और इससे अधिक किन्तु रू० 5900-6700 से कम	1640-2900
4	रू० 5900-6700 या इससे अधिक	2000-3200

विभाग में रू० 3000-4500 से नीचे के वेतनमान के अधिकारी से सम्बद्ध आशुलिपिकों के पद जहाँ पर हो रू० 1200-2040 के वेतनमान में रखे जाये।

प्रत्येक विभाग में वरिष्ठ अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी के लिये आशुलिपिक के जितने पद स्वीकृत हो उनका विभाजन प्रस्तर-1 में दी गई तालिका की पद्धति के आधार पर संबंधित अधिकारी का वेतनमान देखते हुये किया जाना है। अर्थात जितने वरिष्ठ अधिकारियों के लिये आशुलिपिक के पद उपलब्ध हों उतने पद प्रस्तर-1 के अनुसार आशुलिपिक के संबंधित उच्च वेतनमान में दिये जायेंगे और उनकी नियुक्ति विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार कर सकते हैं, किन्तु यह स्पष्ट है कि आशुलिपिक के उच्च वेतनमान में उतने ही पद उपलब्ध होंगे भले ही वह नीचे के स्तर के अधिकारी के साथ कार्य कर रहा हो और इसी प्रकार यदि कनिष्ठ आशुलिपिक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कार्य कर रहा है और कार्य विभाजन के अनुसार वह कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी के स्तर पर आता है तो उसे कनिष्ठ वेतनमान [illegible] होगा।

रू० 5100-5700 या इससे अधिक वेतनमान वाले विभागाध्यक्षों के साथ सम्बद्ध आशुलिपिक के पद का नाम वैयक्तिक सहायक रखा जाये।

80/-

(60)

प्रस्ताव सं0 147:38 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबद के प्रबन्ध परिषद की 141वीं बैठक एजेन्डा सं0 10 पर लिये गये निर्णय जिसमें कृषि विभाग उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0 639/1/12-9-95 दिनांक 21-7-1995 के अनुसार आशुलिपिको को संशोधित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में जो अनुमोदन प्रदान किया गया था पर पुर्नविचार के सम्बन्ध में

प्रबन्ध परिषद ने सर्वसमति से 141वीं बैठक के एजेन्डा सं0 10 पर लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए पूर्व में लिये गये निर्णय को वापस लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 141वीं बैठक की एजेण्डा संख्या–10 पर लिये गये निर्णय जिसमें कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–639/1/12–9–95 दिनांक 21.07.1995 के अनुसार आशुलिपिकों को संशोधित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में जो अनुमोदन प्रदान किया गया है, पर पुनर्विचार के सम्बन्ध में:– (59)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फ़ैजाबाद में कार्यरत आशुलिपिक संवर्ग को कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–639/1/12–9–95 दिनांक 21.7.1995 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश संख्या–1150/नि0प्र0/लेखा–2/वेतन संशोधन/05 दिनांक 15.7.2005 द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के दिनांक 1.1.1986 से 31.3.1989 तक उपलब्ध पदों को पुनर्गठित/पुनर्स्थापित करते हुए इन कर्मियों को दिनांक 1.1.1936 से संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया है। कालान्तर में प्रबन्ध परिषद की 138वीं व 139वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण पुनः विवरण के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इसी क्रम में प्रबन्ध परिषद की 141वीं बैठक के मद संख्या–10 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–639/1/12–9–95 दिनांक 21.7.1995 जो कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को संम्बोधित था, के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या–1150/नि0प्र0/लेखा–2/वेतन संशोधन/05 दिनांक 15.7.2005, जो लागू हो गया था, के अनुसार विश्वविद्यालय के आशुलिपिक संवर्ग को पुनर्गठित/पुनर्स्थापित किये जाने पर प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विश्वविद्यालय की परिनियमावली में अध्याय–20 ए के अनुसार यह व्यवस्था दी गयी है कि शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतनमान आदि निर्धारित होंगे। इसी परिनियमावली की गलत व्याख्या करके सर्वप्रथम दिनांक 15.7.2005 को विश्वविद्यालय द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसारित आदेश जो शासनादेश संख्या–639/1/12–9–95 दिनांक 21.7.1995 द्वारा प्रसारित किया गया था, अंगीकार किया गया है जबकि वर्ष 1995 का शासनादेश विश्वविद्यालय पर लागू नहीं था, बल्कि यह शासनादेश कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के लिए था। यह भी सूच्य है कि वर्ष 2002 से कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सृजित है जो विश्वविद्यालय का प्रशासनिक विभाग है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा वर्ष 1995 में कृषि निदेशक के लिए सम्बोधित शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के लिए निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं। अर्थात जब 2005 में विश्वविद्यालय द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के पदों को पुनर्गठित/पुनर्स्थापित किया गया, उस समय विश्वविद्यालय का प्रशासनिक विभाग जो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग है, का कोई निर्देश नहीं था। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय–20(ए) के प्राविधानों के अनुसार वर्ष 1995 का शासनादेश जो कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के लिए था, वह कृषि विश्वविद्यालय पर लागू नहीं हो सकता था।

विश्वविद्यालय द्वारा स्टेनो को संशोधित वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था, जिस पर शासनादेश संख्या–3144/12–3–96–400 (240)/91 दिनांक 14.12.1996 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पूर्व में शासन का निर्णय शासनादेश दिनांक 26.4.1995 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। सूच्य है कि शासनादेश दिनांक 26.4.1995 में यह अवगत कराया गया है कि राजकीय कार्यालयों में कार्यरत स्टेनो के लिए अनुमन्य उच्च वेतनमान विश्वविद्यालय मे लागू नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय के आशुलिपिकों को दिनांक 1.1.1986 से पुनरीक्षित वेतनमान

रू0 1350–2200 दिये जाने पर सहमति दी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सही तथ्य प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये तथा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के लिए सम्बोधित शासनादेश दिनांक 21.7.1995 विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया। यह भी सूच्य है कि स्टेनो के लिए अनुमन्य वेतनमान रू0 2000–3200 केवल सुपर टाइम स्केल के अधिकारियों के साथ सम्बद्ध होने की स्थिति में था। विश्वविद्यालय में इस स्केल में केवल कुलपति का ही पद है। ऐसी स्थिति में यदि शासनादेश लागू भी होता तो भी एक ही स्टेनो को रू0 2000–3200 का वेतनमान दिया जाता। परन्तु विश्वविद्याल्य द्वारा 03 स्टेनो को यह सुविधा दे दी गयी तथा इस पर भी प्रबन्ध परिषद की अनुमति प्राप्त कर लिया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या–639/1/12–9–95 दिनांक 21.7.1995 को लागू करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का प्रशासनिक आदेश संख्या–1150/नि0प्र0/लेखा–2/वेतन संशोधन/05 दिनांक 15.7.2005 त्रुटिपूर्ण है तथा इस त्रुटिपूर्ण आदेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के परिनियमावली की गलत व्याख्या करते हुए माननीय प्रबन्ध परिषद के समक्ष सही तथ्य न प्रस्तुत करके माननीय प्रबन्ध परिषद की 141वीं बैठक के एजेण्डा संख्या–10 पर विश्वविद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 15.7.2005 का अनुमोदन कराया गया। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 15.7.2005 के लागू करते समय केवल 03 आशुलिपिकों को दिनांक 1.1.1986 से रू0 2000–3200 संशोधित वेतनमान दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त 06 अन्य आशुलिपिकों को भी 1640–2900 तथा 30 आशुलेपिकों को 1400–2600 का उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है। इसके कारण विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ा है।

यह भी सूच्य है कि समय–समय पर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 15.07.2005 में शामिल न हो सके आशुलिपिकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं, रिट याचिका संख्या–6439(एस/एस)/2008 श्री गोपाल कृष्ण सैनी बनाम कुलपति तथा रिट याचिका संख्या–6476(एस/एस)/2009 श्री राम सांवरे यादव बनाम कुलपति व अन्य प्रस्तुत की गयी थीं, जिनमें उच्च वेतनमान की मांग की जा रही है। इन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुलपति को निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये हैं। विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 15.07.2005 जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है, यदि यह आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो इस त्रुटिपूर्ण आदेश का लाभ सम्बन्धित पक्षों को देना पड़ सकता है, जिससे विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा। साथ ही अन्य कार्मिकों में लिटीगेशन की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए माननीय प्रबन्ध परिषद से अनुरोध है कि प्रबन्ध परिषद की 141वीं बैठक के एजेण्डा संख्या–10 पर लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर पूर्व में लिये गये निर्णय को वापस लेने पर अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

Ramkishor

(प्रो.इं. राम किशोर)
प्रशासनिक अधिकारी

इस प्रस्ताव को प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक के एजेण्डा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(राजीव कुमार)
कुलपति

(67)

आदेश

इस विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिक संवर्ग के पदों को आदेश संख्या–1150/नि0प्रशा0/लेखा–2/वेतन संशोधन/05, दिनॉक 15.07.2005 द्वारा पद पुनर्गठित/पद स्थापित कर दिनॉक 01.01.1986 से उच्च वेतनमान प्रदान किया गया। प्रबन्ध परिषद की 147वीं बैठक के मद संख्या–147:38 में लिए गये निर्णयानुसार आदेश संख्या–1150/नि.प्रशा./लेखा–2/वेतन संशोधन/05, दिनॉक 15.07.2005 मूलरूप में वापस लिया जाता है।

(राजीव कुमार)
कुलपति/मण्डलायुक्त

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।

पत्रांक : ३२७/स्था.–4/2010 दिनांक : 04.9.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक।
2. वित्त नियन्त्रक जी को तत्क्रम में सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन भुगतानार्थ।
3. कुलसचिव।
4. कुलपति के सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष को तत्क्रम में सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन विपत्र तैयार कराने के आशय से।
6. विश्वविद्यालय अधिवक्ता।
7. प्रभारी विधि प्रकोष्ठ।
8. लेखाकार, स्थापनानुभाग।

Ramkishor
(प्रो0 इं0 राम किशोर)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक आदेश संख्या–एन.डी.यू.ए.टी.–07/ वि0प्र0 /2014 /2129 दिनांक 25.03.2014 द्व आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक का स्थान	: सभाकक्ष कृषि महाविद्यालय
बैठक का दिनांक	: 10.04.2014
समय	: पूर्वान्ह 11.00 बजे

उपस्थितः–

1. डा0 भगवान सिंह, निदेशक शोध – अध्यक्ष
2. डा0 पी0के0 गुप्ता, निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण – संयोजक
3. श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय, वित्त नियन्त्रक – सदस्य
4. डा0 टी0पी0एस0 कटियार, अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय – सदस्य
5. स्टाफ आशुलिपिक संवर्ग

1. श्री सुजात अहमद, वैयक्तिक सहायक
2. श्री राम सांवरे यादव, वैयक्तिक सहायक
3. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, वैयक्तिक सहायक
4. श्री मुराहू राम, वैयक्तिक सहायक
5. श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव, आशुलिपिक
6. श्री शशिभूषण, आशुलिपिक
7. श्री अख्तर नईम रिजवी, आशुलिपिक
8. श्री जटा शंकर दूबे, आशुलिपिक
9. श्री राम केवल, आशुलिपिक
10. श्रीमती शाहीन अंजुम, आशुलिपिक
11. श्री राम तेज, आशुलिपिक
12. श्री इशरार अहमद, आशुलिपिक
13. श्री कायम मेंहदी, आशुलिपिक
14. श्री आद्या प्रसाद सिंह, आशुलिपिक
15. श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक
16. श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक
17. श्री लाल बहादुर सैनी, आशुलिपिक
18. श्री राम नायक वर्मा, आशुलिपिक

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ, लखनऊ में दायर याचिका संख्या–7160 आफ 2010 श्री सुजात अहमद खान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2013 तथा प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या – 62/67–कृशिअ–14–30(47)/10 दिनांक 21 जनवरी, 2014 द्वारा जारी निर्देश के क्रम में आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में समिति द्वारा आशुलिपिक सवंर्ग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया तथा उनके विचारों/कथनों को सुना गया। उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में सुपरटाइम स्केल का एक ही पद (कुलपति) है, जिसके साथ आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ कर्मचारी मो0 नईम, वैयक्तिक सहायक को तत्कालीन वेतनमान रू0 2000–3200 वेतनमान दिया गया है, जो नियमानुसार है। इसके अतिरिक्त इस वेतनमान में अस्पष्ट परिस्थितियों में 02 और वैयक्तिक सहायकों को वेतनमान रू0 2000–3200 प्रदान किया गया था, जो उचित नहीं है तथा असन्तोष का मूल कारण भी यही है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति को पूर्व प्रसारित आदेश संख्या–1150/नि.प्र./लेखा–02/वेतन निर्धारण दिनांक 15.07.2005 में हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया। आशुलिपिक सवंर्ग के अधिकांश कर्मचारियों द्वारा बहुमत से एतदर्थ अपनी सहमति व्यक्त की गयी, किन्तु मात्र दो कर्मी श्री सुजात अहमद खान एवं श्री राम सांवरे यादव ने अपनी असहमति व्यक्त की। उनकी बात सुनी गयी, किन्तु उक्त वर्णित वेतनमान रू0 2000–3200 में पद उपलब्ध न होने के कारण श्री सुजात अहमद खान एवं श्री एल0बी0 सिंह को वर्तमान में यह वेतनमान/समय–समय पर पुनरीक्षण देते रहना सम्भव नहीं प्रतीत होता है।

अतः समिति माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश तथा आशुलिपिक सवंर्ग के कर्मचारियों द्वारा बहुमत के आधार पर दिये गये सहमति के दृष्टिगत समिति पूर्व में हुई उक्त त्रुटि का निराकरण करते हुए पूर्व प्रसारित आदेश संख्या–1150/नि.प्र./लेखा–02/वेतन निर्धारण दिनांक 15.07.2005 में हुई त्रुटि को उक्तानुसार संशोधित किये जाने की संस्तुति प्रदान करती

है, जिससे भावष्य में किसी प्रकार का लिटीगेशन न हो। अतः निम्नानुसार वेतनमान प्रस्तावित किया जाता है:—

क्रं सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	योगदान तिथि	प्रस्तावित वेतनमान
1	श्री मोहम्मद नईम	स्टेनोग्राफर/पी0ए0	2—12—1982	2000—3200
1	श्री सुजात अहमद खान	सीनियर स्टेनोग्राफर	11—12—1986	1640—2900
2	श्री गोपाल कृष्ण सैनी	वैयक्तिक सहायक	9—7—1987	1640—2900
3	श्री एल0आर0 खान	सीनियर स्टेनोग्राफर	13.12.1993	1640—2900
4	श्री राम सांवरे यादव	सीनियर स्टेनो./ पी0ए0	13.12.1993	1640—2900
5	श्री लाल बहादुर सिंह	वरिष्ठ आशुलिपिक	08.02.1997	1640—2900
6	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा	वैयक्तिक सहायक	08.02.1997	1640—2900
7	श्री मुराहू राम	वैयक्तिक सहायक	08.02.1997	1640—2900
8	श्री भूप नरायण मिश्रा	वैयक्तिक सहायक	08.02.1997	1640—2900
1	श्री भरत त्रिपाठी	आशुलिपिक	08.09.1983	1400—2600
2	श्री किशोरी लाल	आशुलिपिक	08.09.1983	1400—2600
3	श्री जमाल हैदर रिजवी	आशुलिपिक	08.09.1983	1400—2600
4	श्री समर हैदर	आशुलिपिक	09.09.1983	1400—2600
5	श्री अली अख्तर	आशुलिपिक	12.04.1984	1400—2600
6	श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव	आशुलिपिक	17.04.1984	1400—2600
7	श्री मो0 इलियास	आशुलिपिक	17.04.1984	1400—2600
8	श्री शशि भूषण	आशुलिपिक	21.04.1984	1400—2600
9	श्री अख्तर नईम रिजवी	आशुलिपिक	27.04.1984	1400—2600
10	श्री रामजी पाठक	आशुलिपिक	19.12.1986	1400—2600
11	श्री जटाशंकर दूबे	आशुलिपिक	03.01.1987	1400—2600
12	श्री सधुना प्रसाद शुक्ला	आशुलिपिक	30.09.1988	1400—2600
13	श्री राम केवल	आशुलिपिक	11.04.1979	1400—2600
14	श्रीमती शाहीन अंजुम	आशुलिपिक	11.04.1984	1400—2600
15	श्री राम तेज	आशुलिपिक	19.04.1984	1400—2600
16	श्री इशरार अहमद	आशुलिपिक	27.04.1984	1400—2600
17	श्री ओम प्रकाश	आशुलिपिक	12.05.1984	1400—2600
18	श्री कामता प्रसाद मिश्रा	आशुलिपिक	27.09.1986	1400—2600
19	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	आशुलिपिक	29.09.1986	1400—2600
20	श्री कायम मेंहदी	आशुलिपिक	02.10.1986	1400—2600
21	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	आशुलिपिक	09.10.1987	1400—2600
22	श्री आद्या प्रसाद सिंह	आशुलिपिक	31.10.1988	1400—2600
23	श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	आशुलिपिक	11.10.1988	1400—2600
24	श्री लल्लूराम वर्मा	आशुलिपिक	02.11.1988	1400—2600
25	श्री मुकेश श्रीवास्तव	आशुलिपिक	03.11.1988	1400—2600
26	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	आशुलिपिक	15.11.1988	1400—2600
27	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	आशुलिपिक	15.11.1988	1400—2600
28	श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	आशुलिपिक	15.11.1988	1400—2600
29	श्री लाल बहादुर सैनी	आशुलिपिक	15.11.1988	1400—2600
30	श्री राम नायक वर्मा	आशुलिपिक	15.11.1988	1400—2600

10/4/2014

(पी0के0 गुप्ता)
निदेशक
प्रशासन एवं परिवीक्षण

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियन्त्रक

10/04/14

(टी0पी0एस0 कटियार)
अधिष्ठाता
गृह विज्ञान महाविद्यालय

10/4/14

(भगवान सिंह)
निदेशक शोध

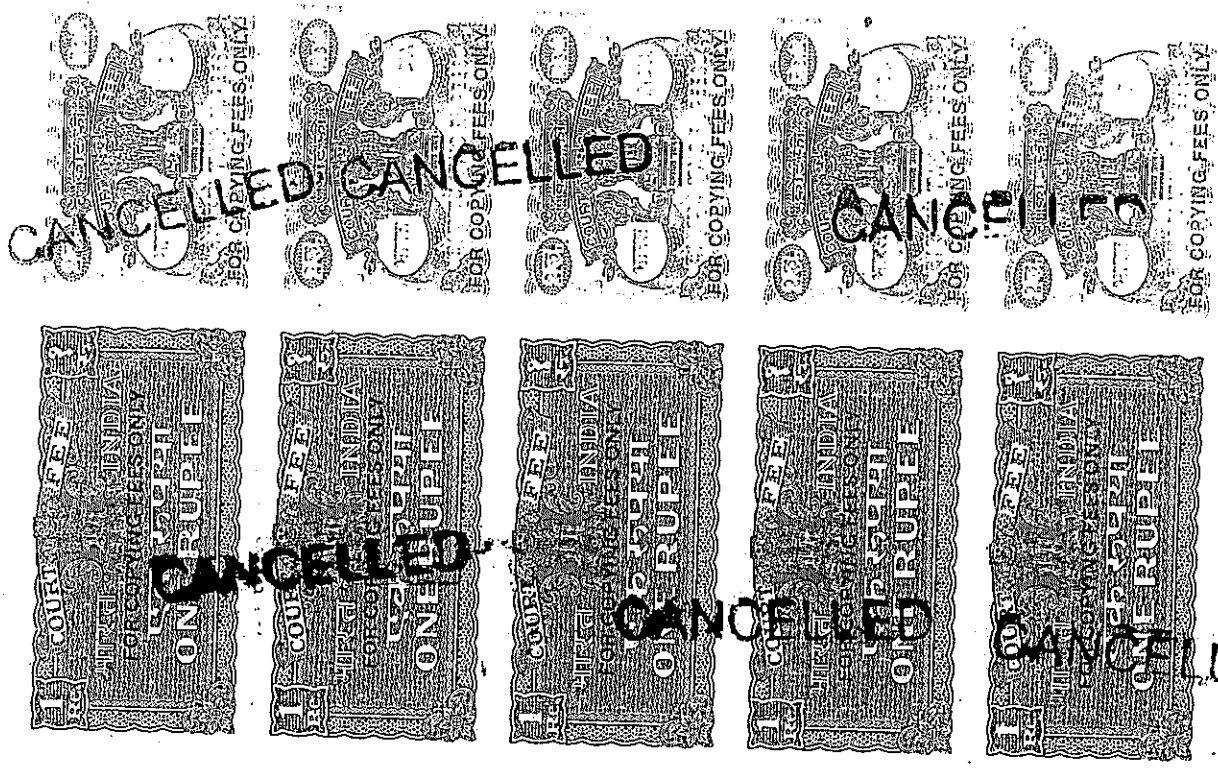

FOR COPYING FEES ONLY
COURT FEE
INDIA
ONE RUPEE
CANCELLED

Case :- SERVICE SINGLE No. - 7160 of 2010

Petitioner :- Shujat Ahmad Khan And Ors.

Respondent :- State Of U.P.Through Prin. Secy. Deptt. Of Agricultre Civil

Counsel for Petitioner :- Sudeep Seth,D.N.Tripathi,I.P. Tripathi

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kuldeep Pati Tripathi,Manik Sinha

Hon'ble Vishnu Chandra Gupta,J.

Heard learned counsel for the petitioners, Mr. Manik Sinha, learned counsel for the University and Mr. Mansoor Ahmad, Chief Standing Counsel.

The University has taken a decision dated 15.09.2008 in pursuance to a resolution passed by the Board of Management of the University to grant parity of pay and allowances to the Stenographers working in the University equal to the Stenographers working in the State Government in pursuance of G.O. Dated 21.07.1995 issued by State Government.

The resolution by which the benefits were accrued, is dated 13.08.2008. This resolution was implemented by granting the benefits of G.O. Dated 21.07.1995 by the order dated 15.09.2008 issued by the Administrative Officer of the University (Annexure No. 11 to the writ petition). The petitioners also got the benefit of this decision.

Later on, the aforesaid benefit was withdrawn by the Board

basis of the aforesaid discussion made the impugned order dated 04.09.2010 which is based on the resolution No. 147.38 dated 25.08.2010 as well as the resolution of Board No.147.38 dated 25.08.2010 are liable to be quashed.

Hence, the writ petition is allowed. The impugned order dated 04.09.2010 as well as the resolution of Board No.147.38 dated 25.08.2010 are quashed.

The University is at liberty to consider the matter afresh, if so desired, but without being influenced with directions of the State Government, if any, in the matter, after providing the opportunity of hearing to the persons to whom benefits have already been accrued.

With the aforesaid observation/ direction, the writ petition is finally disposed of.

Order Date :- 19.12.2013

GSY

Authenticated Copy
02/01/14
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court, Lucknow Bench
Lucknow

बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 21–07–2014

स्थानः महानिदेशक सभाकक्ष
उ0प्र0कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन
अष्टम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

समय : 02.30 बजे अपरान्ह

उपस्थिति :–

(1)	डा0 एम0 एस0 औलख, कुलपति	अध्यक्ष
(2)	श्रीमती नन्दिता शुक्ला, माननीय सदस्य विधान सभा	सदस्या
(3)	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(4)	श्री विनय कुमार पाण्डेय ,अनुसचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(5)	श्री अशोक कुमार विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
(6)	श्री लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ,अपर निदेशक कोषागार एवं पेशंन फैजाबाद मण्डल	सदस्य
(7)	डा0 रूद्र प्रताप निदेशक पशुपालन उ0प्र0	सदस्य
(8)	श्री एम0जी0सिंह प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	सदस्य
(9)	डा0एस0सोलोमन, निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	सदस्य
(10)	श्री बंशी लाल यादव , कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
(11)	श्री छेदी सिंह प्रगतिशील कृषक	सदस्य
(12)	श्री शिवजीत यादव ,पशु प्रजनक	सदस्य
(13)	श्रीमती सुचिता तिवारी ,प्राख्यात उद्योगपति	सदस्या
(14)	डा0 रेहाना सिद्दीकी सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्या
(15)	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय वित्त नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद ने माननीय सदस्यो का स्वागत केया, तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई एवं निम्नवत निर्णय लिया गया :–

प्रस्ताव सं0 165:1 प्रबन्ध परिषद की गत 164वीं बैठक दि0 21–04–2014 बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि

प्रबन्ध परिषद की गत बैठक दि0 21–04–2014 की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 165:2 : प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना :–

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी एवं सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया :–

1 FC VC

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि कृत कार्यवाही के बिलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है तथा सम्बन्धित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। समिति की बैठक हो चुकी है जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

164:6–2 अन्य निर्णय :–

(ख) आई0सी0ए0आर0 द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियेां को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वही सुबिधाये अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में आई0सी0ए0आर0 से जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पत्र के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया । प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनः अनुस्मारक पत्र भेजा जाय।

प्रस्ताव सं0165:3 विश्वविद्यालय का आय व्ययक पुनरीक्षित एवं अनुमान वर्ष 2014–15 पारित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 21–7–2014 द्वारा आय व्ययक पुनरीक्षित एवं अनुमान वर्ष 2014–15 जो परिशिष्ट –1 पर संलग्न है , को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0 165:4 अंशकालिक /अतिथि शिक्षकों की अर्हता, मानदेय व नियुक्ति की शर्तो के सम्बन्ध में विद्वत परिषद की 221वीं बैठक में की गयी संस्तुति के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय ।

विद्वत परिषद की संस्तुति 221:1347 (प्रति संलग्न –क) के अनुसार अतिथि/अंशकालिक शिक्षक/ वैज्ञानिक के मानदेय व नियुक्ति की शर्तो को वित्त उप समिति द्वारा प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ इस संशोधन के साथ संस्तुति की गयी कि अन्य विश्वविद्यालयों की भॉति अतिथि शिक्षक शब्द का प्रयोग किया जाय । वित्त उपसमिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत अनुमोदित किया गया :–

FC

श्रेणी–I अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक जो भाषा/अन्य विषय कमशः तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित है की अनिवार्य योग्यता संबधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री / बी0टेक0 डिग्री होनी चाहिए, ऐसे अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक को रू0 500/– प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

श्रेणी–II अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक को सम्बन्धित विषय में पी0एच0डी0 है (इंजोनियरिंग और पशुविज्ञान पाठयकम को छोडकर) होना चाहिए तथा नेट योग्यता एवं अनुभवी को प्राथमिकता दी जाए। इंजीनियरिंग और पशुविज्ञान के अन्यर्थी को कमशः एम0टेक (प्रथम श्रेणी नेट/गेट के साथ) तथा एम0वी0एस0सी0 होना चाहिए। उक्त श्रेणी के अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक को रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

श्रेणी–III जिन विभागों में प्राध्यापक स्तर के शिक्षक की आवश्यकता है, वहॉ 70 वर्ष आयु से कम आयु के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त प्राध्यापक की सेवाये ली जाय। इस श्रेणी के अतिथि शिक्षकों को प्रतिदिन रू0 2000/–'की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की शर्तो का अनुमोदन भी किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से रिक्तियों का संकलन कर पारदर्शी प्रकिया अपनाकर आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक/वैज्ञानिक रखेगा।

प्रस्तावसं0165:5 **: शिक्षणेत्तर कार्मिकों की सेवा, सेवाप्रदायकर्ता से लिये जाने के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर अधिकारियें /कर्मचारियें की सेवानिवृत्ति /अन्सामयिक मृत्यु के कारण विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित न हो, इस दृष्टिकोण से आवश्यक कार्यो हेतु बाह्य सेवायोजक के माध्यम से नियत वेतन पर कार्मिक लेकर कार्य चलाये सम्बन्धी वित्त उप समिति की बैठक दि0 21–07–2014 की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश यदि कोई है, तो उसके अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

प्रस्तावसं0165:6 : विश्वावद्यालय क शिक्षका का अससमन्ट क आधार पर वष 2013 म का गया प्रान्नात क सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श किया गया ,तदोपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :–

1– माननीय उच्च न्यायालय एवं उ0प्र0 शासन के अनुपालन में असेसमेन्ट की कार्यवाही (जिसमें लाभ प्राप्त शिक्षक एवं अन्य अर्ह शिक्षक भी सम्मिलित करते हुए) नये सिरे से कर जांय , किन्तु कृत कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0 290/12– 8–200–400(93)/99 ए दि0 07–C2–2000 यथासंशोधित शासनादेश सं0 73971/67–कृशिअ–08–200(51)/08 दि0 05–12–2008 द्वारा लागू कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अनुसार कार्यवाही की जाय जिसमें 31–12–2008 के उपरान्त अर्हता प्राप्त करने वाले शिक्षक सम्मिलित न्ही किये जायेगें क्योकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने के उपरान्त लागू की गयी नयी कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम उ0प्र0शासन द्वारा अभी तक अधिसूचित नही की गयी है ।

2– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की तिथि को शिक्षक याचीगणों को प्रदत्त वेतन एवं पदनाम में कोई प्रतिकूल कार्यवाही न की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित अनुपूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये –

प्रस्तावसं0165:7 **: विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला एवं पजाब नेशनल बैंक कुमारगंज को परिसर में बड़े भवन के आवंटन के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति की बैठक दि0 21–7–2014 में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में फीस जमा करने की सुबिधा आन लाइन कर दी गयी है जिससे छात्रों को फीस जमा करने के लिए बैंक में लाइन न लगानी पडें, इस सम्बन्ध में मा0 परिषद द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी । यह भी अवगत कराया गया कि बैंक शाखाओं को प्रस्तावित रिक्त भवन मे स्थानान्तरित करने से न केवल विश्वविद्यालय को किराया के रूप में अधिक धनराशि प्राप्त होगी अपितु रिक्त भवन का रखरखाव भी बैंक द्वारा सुनिश्चित हो सकेगा। आवासीय परिसर रिक्त होने से कार्मिकों को भवन आवंटित भी किये जा सकेगें ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त वित्त उप समिति द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ इस संशोधन के साथ संस्तुति प्रदान की गयी कि सूचना संचार केन्द्र का पूर्वी भाग कवर्ड एरिया 3150.72 वर्ग फिट भारतीय स्टेट बैंक पिठला शाखा को एवं दक्षिणी विंग कवर्ड एरिया 4825 वर्ग फिट पंजाब नेशनल बैंक ,कुमारगंज को तीन वर्षो हेतु लीज पर दिया जाय । उक्त भवन का किराया शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया

FC

जायगा जो किसी भी दशा में वर्तमान किराये से कम नहीं होगा । तीन वर्ष के उपरान्त लीज की अवधि बढ़ायी जा सकेगी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया । प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि भवन का किराया डी0एन0 सर्किल रेट को विचार में रखकर निर्धारित किया जाय ।

<u>अन्य सुझाव</u>

प्रस्तावसं0 165:8 (क) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह , सदस्य एवं अन्य माननीय सदस्यों ने मौखिक रूप से श्रीमती विभा परिहार के विनियमितीकरण का प्रकरण उठाया । उनके द्वारा इस बिन्दु पर विशेष बल दिया गया कि प्रबन्ध परिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को संलग्न करते हुए शासन के निर्देश हेतु प्रेषित की जाय एवं शासन के निर्देश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाय ।

(ख) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में (Guidelines for Hostel Allotment) विद्वत परिषद की 22वी बैठक से अनुमोदित छात्रावास आवंटन संम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने व लागू करने के सम्बन्ध में प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा मानक के अनुरूप मूलभूत सुबिधाओं को सुनिश्चित करने हेतु प्रबन्ध परिषद ने समुचित प्रयास करने की अपेक्षा की ।

(ग) पशुचिकित्सा एव पशुपालन महाविद्यालय मे प्रवेश के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा जानकारी चाही गयी । माननीय कुलपति जी ने प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया कि वी0सी0आई0 के निरीक्षण दल द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया जा चुका है जो संतोषजनक रहा है। वी0सी0आई0 के दल द्वारा निर्णय प्रतीक्षित है ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव, प्रबन्ध परिषद

(एम0 एस0 औलख)
कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।
पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–165वीं/लेखा/2014/615 दिनांक 21–7–2014

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव, प्रबन्ध परिषद

आय व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2013–14 एवं अनुमान वर्ष 2014–15

परिशिष्ट–1

(रू0 हजार में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय वर्ष 2013–14	अनुमान वर्ष 2014–15
1	राज्य सरकार आयोजनेत्तर		
क	कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद हेतु	472998	525320
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	74127	91551
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	11085	13065
घ	प्रसार योजना का सुदृढीकरण/(कृषि ज्ञान केन्द्रों हेतु)	212	267
ड0	तकनीकी प्रशिक्षण	–	1000
च	आडिट फीस	7300	24061
	योग	565722	655264
2	राज्य सरकार आयोजनागत योजनाएँ		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित 75:25 प्रतिशत परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	34345	52375
ख	वि0वि0 में चल रहे निर्माण कार्यो हेतु	160879	367720
ग	डा0राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट आफ प्लान्ट बायोडाइवर्सिटी एण्ड बायोटेक्नालोजी के फर्नीचर क्रय हेतु	6780	–
घ	रावे पर व्यय	109	200
ड0	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में बी0बी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 पाठयक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	–	250
	योग(क+ख+ग+घ +ड0)	202113	420545
3	भारतीय कृषि अनु0 परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं	265201	492042
	सम्पूर्ण योगः–(1+2+3)	1033036	1567851

221:1347 **To consider and approve to engage of Guest/Part-time Teachers and Scientists in the University.**

The University is faced with the acute shortage of Teachers in several disciplines/subjects, because for last many years, the teachers of the University have been retiring but recruitments on the posts vacated by them have not been made. Similarly, there is an urgent need of Researchers in various projects funded by outside agencies.

Therefore, it is desirable to engage Guest/Part time teachers, so that the education could be provided to the students of different degree programmes as per prescribed course curriculum. Dean, College of Veterinary Science and Animal Husbandry has given a proposal to engage retired Professors as Guest/Part time teachers keeping in view the guidelines of University Grants Commission. The University Grants Commission has issued guidelines from time to time for engaging Guest/part time teachers and visiting Professors/Fellows. The other State Universities of U.P. including Agricultural University, Banda have already made provisions for engagement of Guest/part time teachers as per requirement of different departments.

The Members of Academic Council discussed the issue of engaging Guest/Part-time Teachers and Scientists in the University gave valuable suggestions for the proposed three categories of Guest/Part-time Teachers/Scientists. Thereafter, the proposal was approved unanimously as per details given below:

Those who are engaged for the teaching purpose in the University will be known as Guest/Part-time Teachers and who are engaged for research work will be known as Guest/Part-time Scientists. The Guest/Part-time Teachers will be paid honorarium from the University's own income whereas Guest/Part-time Scientists engaged in Research & Extension projects, will be paid honorarium from the funds of the concerned project.

Three categories of Guest/part time Teachers/Scientists are proposed as under:

Category – I Guest/Part time Teachers/Scientists in languages/other subjects and Computer Applications should have essential qualification of Master's degree and B.Tech. in concerned subjects respectively. The hired Guest/part time Teachers/Scientists of this categcry will be paid Rs. 500/- per day as honorarium.

Category – II Guest/part time Teachers/Scientists of this category should possess essential qualification of Ph.D. in concerned subjects, (except Engineering and Veterinary subjects) preferably NET qualified and experienced. In case of Engineering and Veterinary Sciences, the candidates should posses M.Tech (Ist divistion with NET/GATE) and M.V.Sc., respectively. The Guest/part time teachers/Scientists of this category will be paid Rs. 1000/ per day as honorarium.

(Milkha Singh Arora)
Vice-Chancellor

Category – III

In those departments where Teachers in the rank of Professors are required, retired Professors below the age of 70 years from the recognized universities will be hired. These hired Guest/Part-time Teachers will be paid honorarium of Rs. 2000/- per day.

The Terms and Conditions for engagement of the above three categories of Guest/Part-time Teachers/Scientists would be as under:

I. The Guest/Part-time teacher should possess qualifications mentioned against his/her category in concerned subject/discipline preferably with teaching experience at UG and PG level in the concerned discipline.

II. The Guest/Part-time teacher should be either unemployed or retired from service below the age of 70 years.

III. The Guest/Part-time teacher will be paid a fixed honorarium at the rate mentioned against each category per day (irrespective of number of lectures/practical classes taken) subject to a maximum of 20 days in a calendar month.

IV. The main responsibility of the Guest/Part-time teacher will be teaching of UG and PG Courses, development of course curriculum and establishment of laboratories and education farm. However, he/she will have to perform additional duties in research, extension, administration etc. as and when assigned by the competent authority.

V. Guest/Part-time teacher shall have to abide by the Rules and Regulations of the University in vogue at present and implemented from time to time.

VI. The engagement of Guest/Part-time Teachers/Scientists will be for the period of one Semester only but could be re-engaged as per requirement of the University. On the other side, the engagement may be terminated by the University Administration at anytime without prior notice and without assigning any reasons.

VII. Guest/Part-time teacher shall be required to execute a Contract-bond on the non-judicial Stamp paper of Rs. 100/- duly attested by the Public Notary with the University stating that he/she will not use this engagement as a basis to claim regular employment in the University in future , and will not leave the engagement in-between the semester.

VIII. He/she will provide a recent health certificate at the time of joining the engagement.

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 166 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 05–12–2014

स्थानः हाई टेक सभाकक्ष (अतिथि गृह)
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय ,
कुमारगंज, फैजाबाद ।

समय : 03.45 बजे अपरान्ह

उपस्थिति :–

(1)	प्रो0 अख़्तर हसीब , कुलपति	अध्यक्ष
(2)	श्रीमती नन्दिता शुक्ला, माननीय सदस्य विधान सभा	सदस्या
(3)	श्री अब्दुल मशहूद खॉ, माननीय सदस्य विधान सभा	सदस्य
(4)	श्री अशोक कुमार सिंह ,सहायक –लेखाधिकारी , प्रतिनिधि अपर निदेशक कोषागार एवं पेशंन फैजाबाद मण्डल,फैजाबाद	सदस्य
(5)	डा0 रूद्र प्रताप निदेशक पशुपालन उ0प्र0	सदस्य
(6)	डा0ए0के0 विश्नोई निदेशक कृषि उ0प्र0	सदस्य
(7)	श्री बंशी लाल यादव , कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
(8)	श्री छेदी सिंह प्रगतिशील कृषक	सदस्य
(9)	श्री शिवजीत यादव ,पशु प्रजनक	सदस्य
(10)	श्रीमती सुचिता तिवारी ,प्रख्यात उद्योगपति	सदस्या
(11)	डा0 रेहाना सिद्दीकी ,सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्या
(12)	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय , वित्त नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में वित्त नियंत्रक/सचिव प्रबन्ध परिषद ने नये कुलपति प्रो0 अख़्तार हसीब का औपचारिक परिचय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से कराया । प्रबन्ध परिषद की तरफ से श्री छेदी सिंह ने नवागत कुलपति का स्वागत एवं अभिनन्दन किया एवं आशा व्यक्त की कि उनके अनुभव एवं कुशल प्रशासन का लाभ विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा तथा विश्वविद्यालय उनके निर्देशन में निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा । कुलपति ने माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया , तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई एवं निम्नवत निर्णय लिया गया :–

प्रस्ताव सं0 166:1 प्रबन्ध परिषद की गत 165वीं बैठक दि0 21–07–2014 बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत बैठक दि0 21–07–2014 की पुष्टि की गयी ।

11/12/14

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक

प्रस्ताव सं0 166:2 : प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना –

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी एवं सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया :–

प्रस्ताव सं0 164:1 भाग –क **प्रबन्ध परिषद की गत 163वीं बैठक दिनांक 29–11–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

प्रबन्ध परिषद विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत हुयी । प्रकरण पर पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय कुलपति को वीक्षा कराके निर्णय लेनें हेतु अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:3 **उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ द्वारा वित्त पोषित कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्ष भर खेती क्यो, कब और कैसे टेक्निकल डाकुमेन्ट का मुद्रण एवं प्रकाशन विषयक परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने को संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0166:4 **विश्वविद्यालय के अधीन उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के द्वारा शोध निधि के अन्तर्गत वित्त पोषित "Feasibility of customized fertilizers for sustainability of rice-wheat and maize-potato cropping system in U.P" परियोजना को विश्वविद्यालय में वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिए विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जानें पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:5 **उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ द्वारा वित्त पोषित " कन्ट्रोलिंग पाड बोरर (हेलिकोवरषा आरमीजेरा) इन पिजनपी (केजनस कजान एल0 मिल्लस पाउ) यूजिंग नेचुरल टाक्सिन्स " योजना को विश्वविद्यालय में किर्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

11/12/14
F.C.
(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक

प्रस्ताव सं0 166:6 **उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित "Isolation , characterization and development of bio-formulation plant growth promoting rhizobacteria of major crops grown in agro-ecological conditions of Uttar " परियोजना को विश्वविद्यालय में कियान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:7 **गृह विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत खाद्य एवं पोषण विज्ञान विभाग के लिए उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यूटिलाइजेशन आफ इन्डीजिनस फूड्स फार द डेवलपमेन्ट आफ फंक्शनल फूडस टू कॉम्बेट माइक्रोन्यूट्रिएन्ट डिफिसिएन्सीज नामक शोध योजना को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:8 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना Conservation, Propagation and Genetic Improvement of Sahiwal Cattle in Eastern U.P. को बाराबंकी जिले में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा योजना को बाराबंकी जिले में संचालित किये जाने के लिए संशोधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:9 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन आजमगढ एवं गोण्डा में नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन आजमगढ एवं गोण्डा में नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

11/12/14

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव सं0 166:10 शोध निदेशालय के अधीन कीट विज्ञान विभाग में संचालित अखिल भारतीय मौन पालन एवं परागण सहायक कीट परियोजना , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के वित्त पोषण से संचालित (75+25) हेतु परिषद से स्वीकृत मानव शक्ति के सृजन विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत मानव शक्ति के सृंजन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:11 बाह्य परीक्षा के विभिन्न कार्यो के पारिश्रमिक की दरों को विद्वत परिषद की संस्तुति के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा विद्वत परिषद की 222वीं बैठक के मद संख्या 222:1355 की संस्तुति के अनुसार बाह्य परीक्षा के विभिन्न कार्यो के पारिश्रमिक की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:12 विश्वविद्यालय के अधीन उ0प्र0कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के द्वारा शोधनिधि के अन्तर्गत वित्त पोषित "Evaluation of Farmers Advisory Systems, Adoption Extent and Impact Assessment of Agril.Technology in Eastern U.P.परियोजना , को विश्वविद्यालय में वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिये विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0 166:13 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन जनपद सोनभद्र के रादर्ट्सगंज (मगुराही) में नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज (मगुराही) में नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयो । वित्त उप समिति की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

F.C. 11/12/14

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक

प्रस्ताव सं0 166:14 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,कृषि अनुसंधान भवन–।। के पत्रांक 1–17/2012– Examination Cell दिनांक 10–10–2014 के अधीन पी0एच0डी0पाठयकमों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षण सत्र 2015–16 से प्रवेश देनें पर विचार एवं निर्णय ।

पी0एच0डी0 पाठयकमों की 25 प्रतिशत सीटों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षण सत्र 2015–16 से प्रवेश दिये जाने हेतु विद्वत परिषद की 222वीं बैठक दिनांक 2–12–2014 में निम्नवत निर्णय लिया गया था :–

1– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पत्र संख्या 1–17/2012– Examination Cell दिनांक 10–10–2014 में प्रवेश हेतु जो शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गयी है , वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता से भिन्न है । ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को विश्वविद्यालय द्वारा आगामी वर्षो में अंगीकार किया जायेगा **किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का नाम यथावत रहेगा ।**

2– **जिन 25 प्रतिशत सीटों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा से प्रवेश प्रस्तावित है वे सीटें स्वीकृत सीटों के अन्तर्गत रहेगी ।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा पी0एच0डी0 पाठयकमों की 25 प्रतिशत सीटों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षण सत्र 2015–16 से प्रवेश दिये जाने विषयक प्रस्ताव को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0166:15 शासनादेश सं0 –324/67–कृशिअ–14–30(45)/2007 दिनांक 29 सितम्बर 2014 के अनुसार रिट याचिका सं0 1343(एस0बी0)/2007 , रिट याचिका सं0 1117(एस0बी0)/2007 रिट याचिका सं0 88(एस0बी0)/2000 , रिट याचिका सं0 1726(एस0बी0)/99 एवं रिट याचिका सं0 1728 (एस0 बी0)/99 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–2012 एवं 14–8–2013 के अनुसार याचीगणों को वेतनमान रू0 2200–4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000–13500) प्रदान किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण की वीक्षा कराके पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

F.C. 11/12/14

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक

अन्य सुझाव :–

श्री छेदी सिंह, माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद ने विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों की सवंर्गवार वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने , विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्नी को माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान करने व नये कार्मिकों का अंशदायी भविष्य निधि जमा कराने का अनुरोध किया गया जिसके लिए प्रबन्ध परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा भी सहमति दी गयी ।

वित्त नियंत्रक /सचिव प्रबन्ध परिषद ने नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज ,फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद के प्रथम सदस्य श्री गिरिजा प्रसाद पाण्डेय तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0शासन के निधन की सूचना से प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया । प्रबन्ध परिषद ने स्व0श्री गिरिजा प्रसाद पाण्डेय की दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की एवं विश्वविद्यालय की तरफ से उनके परिवार को शोक संवेदना प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

11/12/14
(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

11-12-14
(प्रो0 अख़्तर हसीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–166वीं/लेखा/2014/1579 दिनांक 11–12–2014

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

11/12/14
(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 167 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 19–02–2015

स्थानः कुलपति सभाकक्ष ,
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,
कुमारगंज, फैजाबाद ।

समय : 03.30 बजे अपरान्ह

उपस्थिति :–

(1)	प्रो0 अख़्तर हसीब , कुलपति	अध्यक्ष
(2)	श्री सुरजन,संयुक्त संचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ0प्र0शासन	सदस्य
(3)	डा0 कृपा शंकर पाण्डेय, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन ,फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।	सदस्य
(4)	डा0 ओ0पी0 सिंह प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	सदस्य
(5)	श्री बंशी लाल यादव , कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
(6)	श्री छेदी सिंह प्रगतिशील कृषक	सदस्य
(7)	श्री शिवजीत यादव ,पशु प्रजनक	सदस्य
(8)	श्रीमती सुचिता तिवारी ,प्राख्यात उद्योगपति	सदस्या
(9)	डा0 रेहाना सिद्दीकी सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्या
(10)	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय वित्त नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया एवं बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले डा0 कृपा शंकर पाण्डेय , अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन , फैजाबाद मण्डल ,फैजाबाद का परिचय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से कराया गया , तदोपरान्त बैठक में निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :–

प्रस्ताव स0167:1 **कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के शासनादेश स0 –2/2015/2136/67–कृशिअ–14–1500(124)/12 टी0सी0–। लखनऊ दिनांक 12 जनवरी 2015 जिसके द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , फैजाबाद के अन्तर्गत जनपद अजमगढ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना हेतु आवश्यक पदो के सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने के फलस्वरूप सूचनार्थ ।**

वित्त उप समिति द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी 2015 द्वारा नरेन्द्र देव कृषि एवं

23/2/15

प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत आजमगढ में कृषि महाविद्यालय(कैम्पस) की स्थापना हेतु आवश्यक पदो के सृजन से अवगत होकर प्रबन्ध परिषद के अवलोकनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उप समिति की उपरोक्त संस्तुति के कम में प्रबन्ध परिषद अवगत हुई ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

23/2/15

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

24.02.15

(प्रो0 अख़्तर हसीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–167वीं/लेखा/2015/1987 दिनांक 28–02–2015

प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

28/2/15

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद